न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी

पिठासीन अधिकारी – **अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :– 102 / 2023
Gcms No. 2017/00005

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पदमसिंह पुत्र अमरसिंह, जाति राजपुत निवासी करणी नगर ईशरू, तहसील बापिणी जिला फलौदी।		1. मोहनराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी करणी नगर ईशरू, तहसील बापिणी, जिला फलौदी। 2. मगाराम पुत्र सुखराम जाति जाट, निवासी कृष्णनगर, तहसील बापिणी जिला फलौदी। 3. मदनसिंह पुत्र अमरसिंह 4. रूपसिंह पुत्र अमरसिंह 5. भोमसिंह पुत्र अमरसिंह 6. बागसिंह पुत्र अमरसिंह सभी जाति राजपुत निवासी करणीनगर ईशरू तहसील बापिणी जिला फलौदी। 7. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी भुमिधारी सरकार।

वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता वादी की ओर से :– श्री प्रवीण मदेरणा।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या (1):– श्री राजुराम चौधरी।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या (2 से 6):– कोई नहीं।
अप्रार्थीगण सख्या (7) की ओर से :– राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17/9 /2025

वादी के हस्तगत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम करणी नगर के खसरा नम्बर 703 / 566 रकबा 8.4295 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 704 / 566 रकबा 0.1984 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खतेदारी भूमि स्थित है वादी ने वादग्रस्त भूमि का विधिवत बन्टवाड़ा करवाने के लिए वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से राजुराम चौधरी उपस्थित हुए। तथा प्रतिवादीगण संख्यां 02 से 06 को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसार देने के बावजुद कोई उपस्थि नहीं हुऐ जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 07.03.2018 को लाई गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारों के कब्जे कास्त अनुसार चक्कबन्दी करतें हुऐ अपने–अपने हिस्से की जमीन का बन्टवारा करने का

सहायक कलेक्टर बापिणी

आग्रह वादी वकील द्वारा करने पर प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 22.03.2018 के अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा तेहरीर क्रमाक/कोर्ट/राजस्व/2023/844 दिनांक 19.12.2023 को जारी कर तहसीलदार बापिणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

तहसीलदार बापिणी की ओर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया। उभय पक्ष अधिवक्ताओं को सुनने पर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधिवक्ता वादी ने वादग्रस्त भूमि का बटंवाड़ा कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बापिणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव शामिल मिसल किया जा कर वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव माफिक बन्टवाड़ा किया जाकर खाता अलग किया जाने की मांग की है। वादी एंव प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उभयपक्षकारान की सुनवाई के बाद सहमति व्यक्त करने पर विधिसम्मत बन्टवारा प्रस्ताव और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

चूकि वादी के वाद का मुख्य अनुतोष बंटवाडे का है न्यायालय निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी सहखातेदारों को सुचना देकर मौका पर उपस्थित रहने की हिदायत के बाद विवादग्रस्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि के मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं।

अतः तहसीलदार बापिणी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाने योग्य होने से मंजुर किया जा कर वादी के वाद को माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया गया है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम करणी नगर की जमाबन्दी सम्वंत 2075–2078 के खाता नम्बर 75 का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि :–

क्रम संख्या	नाम खातेदार	हिस्से मे रखे खसरे के नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	पदमसिंह 1/5, बागसिंह 1/5, भोमसिंह 1/5, मदनसिंह 1/5, रूपसिंह 1/5 पिता अमरसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	703/566	7.0245	बारानी–4	
2.	मोहनराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट सा.देह खातेदार	703/566	1.4050	बारानी–4	
3.	पदमसिंह 1/6, बागसिंह 1/6, भोमसिंह 1/6, मदनसिंह 1/6, रूपसिंह 1/6 पिता अमरसिंह जाति राजपुत, मोहनराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट सा. देह खातेदार	704/566	0.1984	गै.मु रास्ता	

सहायक कलेक्टर बापिणी

उक्त खातेदारी भुमि का विभाजन प्रस्ताव सारणी अनुसार पक्षकारों के हिस्से में रखते हुऐ वादी एंव प्रतिवादीगण संख्यां 01, 03 से 06 के हिस्से में जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी नाम व हिस्सेंनानुसार भूमि बंट में विभाजन प्रस्ताव अनुसार रखी जाती है अन्तिम विभाजन प्रस्ताव फर्द दिनांक 22/07/2024 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बापिणी तदनुसार अमल दरामद करें। अंतिम डिकी पर्चा मूर्तिब हो कर सम्बधित को पालनार्थ तेहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमिता विश्नोई (RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बापिणी
सहायक कलेक्टर बापिणी